कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
कार्यालय विज्ञप्ति

दिनांकः फरवरी 17, 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ में 03 रिक्त संविदा कर्मियों की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश सं0 1963/सात–न्याय–2–2000–41जी/97, दिनांक 19.10.2000 के साथ पठित शासनादेश सं0 15/2016/1111/ सात–न्याय–2–2016–41जी/97, दिनांक 10.08.2018 में निहित शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर नियत वेतन रू0 8,840/– प्रतिमाह की दर से रिक्त 03 संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रारूप पर इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2026 तक आमन्त्रित किये जाते है। ***शासनादेश सं0 1963/सात–न्याय–2–2000–41जी/97, दिनांक 19.10.2000 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अंतर्गत तय किये गये मानको के अधीन कार्य कराया जाना है। जिसके अंतर्गत एक सफाई कर्मचारी द्वारा कम से कम पांच न्यायालय कक्षों तथा उससे सम्बद्ध कार्यालय/शौचालय आदि के साफ सफाई के कार्य का निष्पादन भी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त इन सफाई कर्मचारीगण से सम्पूर्ण परिसर/नालियॉ इत्यादि का भी सफाई का कार्य भी लिया जाता है। चयनित सफाई कर्मचारी पूर्णतया संविदा पर ही होंगे तथा कोई भी संविदा सफाईकर्मी कभी नियमित होने का दावा नहीं कर सकेगा।*** आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यार्थियों का साक्षात्कार **दिनांक 07.03.2026** को जनपद न्यायालय, लखनऊ के पुराना उच्च न्यायालय परिसर स्थित मीडिएशन कक्ष में होगा जिसमें सभी आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। **साक्षात्कार में पदों के सापेक्ष पॉच गुना अभ्यार्थी सफल घोषित किये जायेंगे, तथा उन्हें प्रयोगिक परीक्षा दिनांक 16.03.2026 को जनपद न्यायालय लखनऊ में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार 50 अंको का होगा तथा प्रायोगिक परीक्षा भी 50 अंको की होगी, अंतिम चयन सूची साक्षात्कार तथा प्रयोगिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर तैयार की जायेगी।** उपरोक्त से संबंधित आवेदन पत्र कार्यालय केंद्रीय नजारत अनुभाग में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे सायं 05:00 तक प्राप्त किये जायेंगे।

आवेदक हेतु नियम व शर्तेः–

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
3. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा सफाई कार्य करने में सक्षम हो।
4. कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या जाली दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को संस्थान के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 5 वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रकिया में कोई अतिरिक्त वरीयता प्रदान नही की जायेगी।
8. प्रयोगिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से सार्वजनिक शौचालयों की साफ–सफाई करायी जायेगी।

17.02.26

अध्यक्ष,
चयन उप–समिति/प्रथम अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner